<table>
<tr><th colspan="2">बिहार विधान परिषद के 173 वें सत्र में पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न</th></tr>
<tr><td>श्री केदारनाथ पाण्डेय, मा0 स0वि0प0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–पी0एस0–14 के संबंध में
क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–</td><td>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,
मंत्री,
आपदा प्रबंधन विभाग
बिहार, पटना</td></tr>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(क) दिनांक –09.02.2013 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में छपे "सिविल डिफेन्स स्वयं सेवक को होमगार्ड के समान मदद" शीर्षक समाचार की ओर क्या सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है? यदि हाँ तो, सरकार यह बताएँ कि राज्य में नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों को सरकार द्वारा किस–किस प्रकार की सुविधा प्रदान की गई है, तथा भविष्य में इसकी क्या योजना है ?</td><td>वस्तुस्थिति निम्नानुसार है –
• नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण/कर्तव्य पर बुलाये जाने के दौरान प्रति स्वयंसेवकों को भत्ते के रूप में प्रतिदिन 100/–(एक सौ रू0) का भुगतान किया जाता है।
• नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को राज्य तथा राज्य से बाहर के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु मनोनीत किया जाता है ।
• वर्तमान में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को कर्तव्य के दौरान मुठभेड़/हिंसक गतिविधियों में मारे जाने पर उनके आश्रितों को रू0 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार रू0) एवं कर्तव्य के दौरान सामान्य मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सहाय्य अनुदान के रूप में रू0 50,000/–(पचास हजार रू0) अनुदान दिये जाने का प्रावधान है ।

• दिनांक –08.02.2013 को मंत्रिपरिषद की बैठक में नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों को गृह रक्षावाहिनी के स्वयंसेवकों के अनुरूप कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान कर्तव्य के दौरान घायल होने पर इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने तथा गंभीर रूप से बीमार पड़ने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी के अनुरूप प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गयी है । तदालोक में नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवकों को भी गृह रक्षकों के समान कर्तव्य के दौरान उग्रवादी हिंसा/हिंसक गतिविधियों/आपदा से जान माल की क्षति रोकने के प्रयास के दौरान अपमृत्यु (Violent Death) होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान रू0 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार) से बढ़ाकर रू0 10,00,000/–(दस लाख) अनुग्रह अनुदान दिये जाने, अन्य कर्तव्य के दौरान मृत नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिये जाने, कर्तव्य के दौरान घायल नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों के इलाज के खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने तथा गम्भीर रूप से बीमार नियमित रूप से अभ्यावेशित नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों के इलाज में खर्च की प्रतिपूर्ति, गम्भीर बीमारियों में सरकारी कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही प्रतिपूर्ति के अनुरूप किये जाने हेतु राज्य सरकार का संकल्प संख्या–1103 (आ0प्र0) दिनांक–18.03.2013 निर्गत किया जा चुका है।</td></tr>
</table>

P.T.O

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04 / वि0प0अ0सू0प्र0–16 / 2013 / .... / आ0प्र0

प्रतिलिपि अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक –3409(5) दिनांक –8.03.13 (जो गृह(विशेष) विभाग, बिहार, पटना से हस्तांतरित होकर इस विभाग को प्राप्त हुआ है) के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –04 / वि0प0अ0सू0प्र0–16 / 2013 / 1410 / आ0प्र0 15/4/13

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पवर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

15/4/13
सरकार के अवर सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai\Qu Ans 14-03-2013.docx

12